बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग/सारा– (न०वि०) आरोप–11/2020 S2576 पटना, दिनांक 28/1/26

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–1073, दिनांक–31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल–जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री भवानी नन्दन, तत्कालीन मुख्य अभियंता, बुडको, जलापूर्त्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज (नगर विकास एवं आवास विभाग) सम्प्रति सेवा निवृत (दिनांक–29.02.2020) एवं अन्य अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री भवानी नन्दन के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1240 (एस) सह–पठित ज्ञापांक–1241 (एस) दिनांक–14.02.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 का नियम–9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री नन्दन दिनांक–29.02.2020 को वार्धक्य सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्र ज्ञापांक–12753 दिनांक–26.11.1970 में निहित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या– 2747 (एस) सहपठित ज्ञापांक– 2748 (एस) दिनांक–11.05.2020 द्वारा श्री भवानी नन्दन, तत्कालीन मुख्य अभियंता, बुडको, जलापूर्त्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज (नगर विकास एवं आवास विभाग), सम्प्रति सेवा निवृत को उनके सेवानिवृति की तिथि–29.02.2020 के अपराह्न से निलंबन मुक्त किया गया।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में श्री नन्दन के विरूद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–610 (एस) दिनांक 28.01.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री नन्दन के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–15071, दिनांक–13.08.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के विभागीय समीक्षोपरांत सहमत होते हुए आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के लिए श्री नन्दन से विभागीय पत्रांक–8783 (एस) अनु० दिनांक 11.11.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री नन्दन ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक 25.11.2025 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. श्री नन्दन द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत यह पाया गया कि वर्ष 2019 में पटना शहर में हुई जल–जमाव की समस्या एक प्राकृतिक आपदा थी एवं जल–जमाव से विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा–विद्युत आपूर्त्ति आदि बाधित हुई, जिससे कई सम्प हाऊस जल–जमाव के बाद क्रियाशील नहीं हो पायी। अतएव यह घटना प्राकृतिक आपदा जनित एवं परिस्थितिजन्य रही है। पटना जल–जमाव के मामले में उक्त परिस्थिति को देखते हुए सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय कार्यपालक पदाधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया है।

कृ०पृ०उ०

आई॰ टी॰ मैनेजर.

6. अतः प्राकृतिक अतिवृष्टि एवं सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय एवं आरोप पत्र में अंकित आरोप की समानता होने को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक विचारोपरांत श्री भवानी नन्दन, तत्कालीन मुख्य अभियंता, बुडको, जलापूर्त्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज (नगर विकास एवं आवास विभाग) सम्प्रति सेवा निवृत (दिनांक–29.02.2020) को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा– (न०वि०) आरोप– 11/2020/पटना, **दिनांक** ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा– (न०वि०) आरोप– 11/2020/पटना, **दिनांक**................................

प्रतिलिपि :– उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय web site पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा– (न०वि०) आरोप–11/2020 **/पटना, दिनांक**..................................

प्रतिलिपि :– मान्नीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, उपभाग सहित, पथ निर्माण विभाग, पटना/ उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1/2/6/13/14/30 (लेखा) एवं श्री भवानी नन्दन, तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री भवानी नन्दन, तत्कालीन मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना उपभाग, पथ निर्माण विभाग अतिरिक्त प्रभार अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत **(पत्रचार का पता–A/102 अमरकुंज अपार्टमेंट, पोस्ट–पाटलीपुत्रा थाना–श्रीकृष्णापुरी जिला–पटना, पिनकोड–800013)**को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा– (न०वि०) आरोप–11 / 2020 पटना, दिनांक................................

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग / सारा– (न०वि०) आरोप–11 / 2020 5258 (S) पटना, दिनांक 28/7/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

28.7.26

सरकार के उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Nigrani Section-13&14\Puja Jee\Adhisuchna & Karyalay Aadehsh.Docx